फर्द अहकाम

[नियम 26]

त उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

अनिता बनाम मांडी

नं० .... सन् ....

दमा प्रा॰ पत्र

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2022	वकील वादी ने मूल वाद के साथ प्रा.पत्र 39 नियम 1,2 दर्ज रजि. पेश किया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित होता है। अतः अप्रार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23/2/2022 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.42 है., 1760 रकबा 0.23 है. वाके ग्राम दिवपुर तहसील अलवर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तलबी अप्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 23/2/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
23-2-22	वकील वादी/प्रार्थी उप./अप्रार्थी-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। वास्ते बहस दि 10/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
10/3/22	वजुलाप उप./ मूल वाद के साथ वास्ते जवाब/ बहस प्रा.पत्र दिनांक 11.4.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.4.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 9.5.22 को पेश हो। रीडर
9/5/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25/5/22 को पेश हो। रीडर
25/5/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 14/6/22 को पेश हो। रीडर
14/6/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 7.7.22 को पेश हो। रीडर
7.7.22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 13/7/22 को पेश हो। रीडर
13/7/22	पत्रावली पेश। / मूल वाद के साथ लिंक 27.7.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर
27/7/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2/8/22 को पेश हो। रीडर
2/8/22	पत्रावली पेश। / वास्ते जवाब लिंक 6/9/22 को पेश हो। जितेन्द्र [illegible] (RAS) [illegible] उपखण्ड अधिकारी अलवर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मा .... नं0 .... सन् ....

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 12/9/22 को पेश हो। रीडर	
	वकीलान वकुलाय उप0। बार का कार्य ... होने के कारण पत्रावली वास्ते जवाब दि0 22/9/22 को पेश हो।	
22/09/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 29/09/22 को पेश हो। रीडर	
29/9	वकुलाय उप0। जवाब पेश किया। वास्ते बहस दि0 6-10-22 को पेश हो।	
6/10	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 10-11-22 को पेश हो। रीडर	
10/11/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 19-1-23 को पेश हो। रीडर	
19-1-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा0 कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 11-5-23 को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	14-7-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25-7-23 को पेश हो। रीडर
	25-7-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 11-8-23 को पेश हो। रीडर
	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 14.8.23 को पेश हो। रीडर
	14.8.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-8-23 को पेश हो। रीडर
	29-8-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 12-9-23 को पेश हो।
	12-9-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 11-10-23 को पेश हो।
	11.10.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 20-11-23 को पेश हो। रीडर
	20-11-23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25-1-24 को पेश हो।
	25-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक [illegible] को पेश हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकुलाय उप०, पत्रावली वास्ते बहस T.I पत्रावली दिनांक 26-2-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	
26.2.24 वकील वादी/वकुलाय उप०। भर का कार्य स्थगत होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक 12-3-24 को पेश हो।	
12.3.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 3-4-24 को पेश हो। रीडर	
3/4/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 30/4/24 को पेश हो। रीडर	
30.4.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27-6-24 को पेश हो। रीडर	
27-6-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 22-7-24 को पेश हो। रीडर	
22-7-24 पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06-8-24 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06-8-24	पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर जिल्द कायम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [signature] ...अधिकारी

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/10	24.01.2022	06-08-2024

उनवान

1:–श्रीमती अनिता पत्नि श्री राजेश कुमार जाति प्रजापत, उम्र 33 साल निवासी ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर (राज.)

वादी

बनाम

1:–मोडी पत्नि रहमत जाति फकीर उम्र 60 साल निवासी ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर

प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी/प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 42 ऐयर व 1760 रकबा 23 ऐयर किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 ग्राम किथूर भू0अ0नि0 चिकानी तहसील अलवर जिला अलवर मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया 1/6 हिस्से की रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीया 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण अनिल कुमार 1/6 हिस्सा, कविता 1/12 हिस्सा, पवन कुमार 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74 मे इन्द्राज हो रहा है ताईद मे नकल जमाबन्दी हाल पेश की है विवादित आराजी का अभी तक कोई विधिक रूप से बटवारा नही हुआ है विवादित आराजी प्रार्थीया एंव अप्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण के शामलात कब्जे काश्त मे चली आ रही है और शामलात मे ही लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है और समस्त खर्चे भी शामलात मे ही करते आ रहे है तथा काश्त की सहुलियत के हिसाब से विवादित आराजी पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थीया विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये प्लोटिंग करके दीगर लोगो को मुन्तकिल मकफूल करने पर उतारू है तथा विवादित आराजी मे निर्माण करने पर उतारू है और अच्छे मे से अच्छे भाग पर अपना कब्जा करके प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

बेजा नुकसान पहुचाने की कौशिश मे है जिसका कि उसे कानूनन कोई हक हासिल नही है अप्रार्थीया, प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर उसके हिस्सेनुसार शान्ति पूर्वक कार्य काश्तकारी नही करने देती और कार्य काश्तकारी मे बेजा व्यवधान पैदा करती तथा अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आती है जिस कारण प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर शामलात मे काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करना सम्भव नही रहा है इसलिये प्रार्थीया ने अप्रार्थीया को कई बार विवादित आराजी को विधिवत तकसीम कराने के लिये कहा तथा यह भी कहा तथा यह भी कहा कि वो प्लोटिग करके आराजी मुतनाजा के स्वरूप, किस्म व कृषि उपयोग को नही बदले तथा बिना तकसीम कराये किसी अन्य को मुन्तकिल मकफूल नही करे किन्तु वह नही मानी तथा दिनॉक 14–01–2022 को अप्रार्थीया ने विवादित आराजी को तकसीम कराने से साथ इन्कार कर दिया व प्लोटिंग के जर्ये दीगर लोगो को आराजी मुतनाजा को मुन्तकिल मकफूल करने की धमकी दी जिस कारण यह दावा पेश करना लाजिम आया है। यदि अप्रार्थीया अपने उक्त बेजा मकसद मे सफल हो गई तो प्रार्थीया को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिये प्रार्थीया विवादित आराजी को अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे बुरी तकसीम करवाकर अपने 1/6 हिस्से का अलग खाता व लगान कायम कराने का कानूनन अधिकारी है वाद कि निस्तारण मे काफी समय लगेगा इस दौरान यदि अप्रार्थीया अपने उक्त बेजा मकसद मे सफल हो गई तो प्रार्थीया को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिये प्रार्थीया ताफैसला दावा अप्रार्थीया को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा इस तरह पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वो विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये प्लोटिंग करके दीगर लोगो को रहन बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल नही करे न प्रार्थीया को उसके हिस्सेनुसार शान्तिपूर्वक कार्य काश्तकारी करने मे किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा करे न जबरन बेदखल करे तथा मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रहने दे व बाज आये जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीया को इस तरह पाबन्द फरमाया कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 42 ऐयर व 1760 रकबा 23 ऐयर किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 ग्राम किथूर भू0अ0निरीक्षक चिकानी तहसील अलवर जिला अलवर को बिना तकसीम कराये प्लोटिंग करके दीगर लोगो को रहन बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल नही करे न किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण कराये न प्रार्थीया को उसके हिस्सेनुसार शान्ति पूर्वक कार्य काश्तकारी करने मे किसी तरह की रूकावट व मजाहत पैदा करे न जबरन बेदखल करे तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत रहने दे व बाज आये अन्य उचित आज्ञा बहक प्रार्थिया विरूद्व असल प्रतिवादिनी सादिर की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने जबाव बिन्दुवार यह है कि यह कि प्रार्थीनी द्वारा दावा न्यायालय श्रीमान मे गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है आराजी हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 42 ऐयर व 1760 रकबा 23 ऐयर कुल किता 2 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम किथूर तहसील अलवर मे स्थित है लेकिन उक्त आराजी को गलत तौर से विवादित बताया गया है वादनी द्वारा एक प्लाट रामनारायण से खरीदा है जिसका इन्तकाल भी गलत तौर से दर्ज करवाया गया है जबकि उक्त प्लॉट जिसका 1/6 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

बताया गया है व गलत है जबकि प्लाटो का इन्तकाल राज्य सरकार द्वारा 2008 से बन्द है मिन अप्रार्थीनी द्वारा भवानी पुत्र हुकमा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.42 है0, 1760 रकबा 0.23 है0 का 1/3 भाग जर्ये बयनामा दिनॉक 02–07–2009 के खरीद किया है उक्त आराजी के खातेदार थे जिन तीनो ने आपस मे मिन अप्रार्थीनी को बेचने से पूर्व बटवारा किया हुआ था और उस बटवारे मे भवानी के हिस्से मे आराजी खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.23 है0 ओर वक्त खरीद से ही मिन अप्रार्थीनी अलग से काश्त कर रहा है व मौके पर काबिज है तथा मिन अप्रार्थीनी ने कृषि कार्ड बनवाया हुआ है चूकि उक्त आराजी का पूर्व मे ही उक्त तीनो खातेदार मोहनलाल, प्रभातीलाल व भवानी के बीच बटवारा हो चुका था तो उक्त आराजी शामलाती होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त आराजी का पूर्व मे ही बटवारा हो चुका था तो शामलाती कब्जे काश्त मे चले आने का प्रश्न ही पैदा नही होता है मिन अप्रार्थीनी अपने हिस्से मे आई हुई आराजी खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.23 है0 पर काबिज चला आ रहा है व मौके पर काबिज है कोई प्लाटिंग नही की जा रही है बल्कि उक्त आराजी कार्य काश्त के काम मे वक्त खरीद से चली आ रही व मौके पर मिन अप्रार्थीनी की बोरिंग की लाईन लगी हुई है। जब आराजी का पूर्व मे बटवारा हो चुका है तो अब बटवारे का प्रश्न ही नही होता मिन अप्रार्थीनी अपने हिस्से की आराजी ,खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.23 है0 पर वक्त खरीद से काबिज है व काश्त करती चली आ रही है दिनॉक 14–1–2022 की कहानी बिल्कुल मिथ्या है। अतः प्रार्थीनी अप्रार्थीनी को पाबन्द कराने की अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र शेष बिन्दु अस्वीकार है।

साथ ही अतिरिक्त कथन अंकित किये कि आराजी खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.42 है0, 1760 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम किथूर तहसील अलवर के खातेदार मोहनलाल, प्रभातीलाल व भवानी पुत्रान हुकमा जाति कुम्हार निवासी किथूर तहसील अलवर खातेदार काश्तकार थे उक्त आराजी की बावत तीनो भाईयो मे आपसी तौर से बटवारा हो गया था और भवानी के हिस्से मे आराजी खसरा नम्बर 1760 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम किथूर तहसील अलवर आई जिस पर भवानी काबिज था भवानी ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 1639 व 1760 का 1/3 भाग जर्ये बयनामा दिनॉक 02–7–2009 के मिन प्रतिवादनी को 4,00,000/– शब्देन चार लाख रूपये मे बेचान कर दिया जिसका बयनामा उप पंजीयक बहादरपुर के यहा दिनॉक 22–7–2009 को तस्दीक कराया वक्त बयनामे से मिन प्रतिवादनी भवानी के हिस्से मे आई हुई आराजी खसरा न0 1760 रकबा 0.23 है0 पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है व मौके पर काबिज है मिन प्रतिवादनी की आराजी के पास ही मोहनलाल पुत्र हुकमा की आराजी है जिसका पंच फैसला भी मिन प्रतिवादनी जयराम के दरमियान दिनॉक 03–02–2018 को हो चुका है जिससे भी यह भली प्रकार से जाहिर व साबित है कि उक्त आराजी का बटवारा पूर्व मे ही भवानी, मोहनलाल व प्रभातीलाल के बीच हो चुका था वादनी की आराजी मेरी आराजी से अलग है जो खसरा न0 1639 मे है वादनी ने यह जानते हुये कि उक्त आराजी का बटवारा पूर्व मे हो चुका है उसके बावजूद भी यह दावा गलत तौर से पेश किया है वादनी ने महज तंग व परेशान करने को यह दावा पेश किया है जो खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

वकील वकुलाय की प्रार्थना पत्र 212 के कम मे बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1639 रकबा 42 ऐयर व 1760 रकबा 23 ऐयर किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 ग्राम किथूर तहसील अलवर जिला अलवर मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया 1/6 हिस्से की रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीया 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण अनिल कुमार 1/6 हिस्सा, कविता 1/12 हिस्सा, पवन कुमार 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74 मे इन्द्राज हो रहा है उक्त विवादित आराजी का अभी तक कोई विधिक रूप से बटवारा नही हुआ है अप्रार्थीया विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये प्लोटिंग करके दीगर लोगो को मुन्तकिल मकफूल करने पर उतारू है तथा विवादित आराजी मे निर्माण करने पर उतारू है और अच्छे मे से अच्छे भाग पर अपना कब्जा करके प्रार्थीया व तरतीवी प्रतिवादीगण को बेजा नुकसान पहुचाने की कौशिश मे है जिसका कि उसे कानूनन कोई हक हासिल नही है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त आराजी को गलत तौर से विवादित बताया गया है वादनी द्वारा एक प्लाट रामनारायण से खरीदा है जिसका इन्तकाल भी गलत तौर से दर्ज करवाया गया है जबकि उक्त प्लॉट जिसका 1/6 हिस्सा बताया गया है व गलत है जबकि प्लाटो का इन्तकाल राज्य सरकार द्वारा 2008 से बन्द है मिन अप्रार्थीनी द्वारा भवानी पुत्र हुकमा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.42 है0, 1760 रकबा 0.23 है0 का 1/3 भाग जर्ये बयनामा दिनॉक 02–07–2009 के खरीद किया है उक्त आराजी के खातेदार थे उक्त आराजी का पूर्व मे ही उक्त तीनो खातेदार मोहनलाल, प्रभातीलाल व भवानी के बीच बटवारा हो चुका था तो उक्त आराजी शामलाती होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1. <u>प्रथम दृष्टया केस:–</u>विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी मौके पर शांतिपूर्वक विवादित आराजी पर काबिज है। विवादित आराजी अबट आराजी है। जिसमें प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी कृषि से अकृषि कार्य कर रहे है। धारा 53, 188 के वाद के अन्तर्गत जब तक विवादित आराजी का विधिवत तकासमा ना हो तब तक पक्षकारों को निर्माण आदि नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होती है। जिससे जिससे पक्षकारों मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी ना हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के हक में साबित होता है।
2. <u>सुविधा का सन्तुलन :–</u>विवादित आराजी कृषि भूमि है। प्रार्थी अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज है। अप्रार्थी जबरन अबट कृषि भूमी पर प्लोटिंग कार्य करने पर उतारू है। तब वाद करण कारित होने पर प्रार्थी ने वाद दायर किया है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अपूर्णीय क्षति :—विवादित आराजी कृषि भूमि है एवं पक्षकारान की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी की अबट आराजी है। अबट आराजी में प्रत्येक खातेदार का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पर इंच इंच पर हिस्सा होता है। अप्रार्थीगण उक्त अबट आराजी पर प्लोटिंग कर अकृषि कार्य कर रहे है। इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का ना होकर प्रार्थी को होना पाया जाता है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में साबित होते है एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रा0 काश्त0 अधि0 212 प्रार्थी स्वीकार किया जाता है इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24—01—2022 को ताफैसला वाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1639 रकबा 42 ऐयर व 1760 रकबा 23 ऐयर कुल किता 2 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम किथूर तहसील अलवर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner